



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 221 राँची, गुरुवार,

13 फाल्गुन, 1937 (श०)

3 मार्च, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

1 मार्च, 2016

संख्या-1/स्था0/श0स्था0नि0(पद सृजन)-25/2015/न0वि0-1158--नगर विकास एवं आवास विभाग के विभिन्न संकल्पों के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न पदों का सृजन किया गया है।

विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में पर्याप्त संख्या में पद सृजित नहीं रहने एवं समानुपातिक रूप से पदों के सृजन नहीं किये जाने के फलस्वरूप निकायों के कार्य सम्पादन में अतिशय कठिनाई हो रही है। साथ ही निकायों में समान प्रकृति एवं स्वरूप के कतिपय पदों के वेतनमान में भी भिन्नतायें हैं, जिसके निराकरण की आवश्यकता है।

2. उक्त के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में पर्याप्त संख्या एवं समानुपातिक रूप से पदों की सृजन की कार्रवाई करने तथा समान प्रकृति एवं स्वरूप के पदों के वेतनमान में भिन्नता के निराकरण के बिन्दु पर विचार करने हेतु विभागीय स्तर पर उच्चस्तरीय समिति निम्न प्रकार गठित की जाती है:-

- | | | | |
|-------|--|---|------------|
| (I) | निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय | - | अध्यक्ष |
| (II) | नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/धनबाद नगर निगम/
देवघर नगर निगम | - | सदस्य |
| (III) | अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग | - | सदस्य |
| (IV) | श्री बद्री नाथ चैबे, संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं
आवास विभाग | - | सदस्य |
| (V) | कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के द्वारा
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनित सदस्य- | - | सदस्य |
| (VI) | श्री राहुल कुमार, अवर सचिव, नगर विकास एवं
आवास विभाग | - | सदस्य सचिव |

समिति उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में एक पक्ष के अन्दर सरकार को अपनी अनुशंसा समर्पित करेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी० पी० एल० दास,
सरकार के अपर सचिव ।
